रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1162] नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2012/ज्येष्ठ 30, 1934
No. 1162] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2012/JYAISTHA 30, 1934

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1390(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसमें इसके पश्चात् परिषद के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस), दिनांक 23-08-2010 [दिनांक 2 अगस्त, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 61-1/2011-एनसीटीई (एनएंडएस) द्वारा यथासंशोधित] में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (द) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

और जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

और जबकि मेघालय राज्य सरकार द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए मेघालय राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया;

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) (उक्त अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-1/2011-एनसीटीई/(एनएंडएस) (संशोधित अधिसूचना) के जरिये उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा I-VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के संबंध में मेघालय राज्य को छूट देती है, जो निम्नानुसार हैः–

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2014 तक के लिए मान्य होगीः

(i) परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार मेघालय सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी,2011 को समय-समय पर यथासंशोधित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना तथा परिषद की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित नि... प्रावधान किया जा सके;

...र्धारित न्यूनतम योग्यताओं का

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पा... जो दिनांक 23 अगस्त, 2010 की उ... यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता... पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जो इस अधि... छूट वाली योग्यता रखते हैं;

...त्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी ...त अधिसूचना, समय-समय पर ...रखते हैं तथा उसके पश्चात उन ...सूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई

(iv) ... व्यापक प्रचार ... अध्यापक ... किया जाना चाहिए।

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद की समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले ऐसे शिक्षक, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

(vii) विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2014 के पश्चात कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए और इस प्रयोजन

से राज्य सरकार राज्य में शिक्षक तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि हेतु एक कार्यनीति तैयार करेगी तथा उसे दो माह की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी और तत्पश्चात उठाए गए कदमों, जिनमें मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि, नए अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य में अध्यापक तैयार करने की क्षमता में वृद्धि के लिए कार्यनीति के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए अन्य कदम शामिल हैं, के संबंध में प्रत्येक छह माह में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(viii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार के लिए होगी तथा मेघालय राज्य को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

3. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति 31 मार्च, 2014 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में मेघालय राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे:–

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा I-VIII के लिए स्नातक।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई.-4(पार्ट-1)]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(Department of School Education and Literacy)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1390(E).—WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide its notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, (as amended vide notification No. 61-1/2011-NCTE(N&S) published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 dated 2nd August, 2011), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act;

AND WHEREAS sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS the State Government of Meghalaya vide its letter dated the 21st February, 2012 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government perused the proposal of the State Government of Meghalaya for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Meghalaya, the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010 (the said notification), as amended by notification number 61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011 (the amended notification) in so far as they relate to classes I to VIII, namely :-

(a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) one-Year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2014, subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government of Meghalaya shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said Notification as amended from time to time, of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down by the said notification as amended from time to time;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification dated the 23rd August, 2010, as amended from time to time and thereafter, consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down in the said notification, as amended from time to time, of the Council shall acquire the minimum qualifications within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2014 and for this purpose the State Government shall prepare a strategy for increasing the institutional capacity for teacher preparation in the State and submit the same to the Central Government within a period of two months, and thereafter, submit a Report to the Central Government in every six months with regard to the steps taken, including increasing capacity in existing teacher education institutions, establishment of new teacher education institutions, and other steps, to implement the strategy for increasing teacher preparation capacity in the State; and

(viii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State of Meghalaya.

3. The persons possessing the following qualifications shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government of Meghalaya in respect of teacher appointments made in the State upto the 31st March, 2014, in accordance with sub- paragraph (iii) of paragraph 5 of the Teacher Eligibility Test Guidelines, issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011, namely:-

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V;

(b) Graduation, for classes I to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE-4(Pt.1)]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

221340/12-2

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जून, 2012

का.आ. 1391(अ).—जबकि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) (इसमें इसके पश्चात्, उक्त अधिनियम के रूप में उल्लिखित) की धारा 23 की उप-धारा (1) के अनुसरण में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (इसमें इसके पश्चात् परिषद के नाम से उल्लिखित) ने 25 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. एफ. सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस), दिनांक 23-08-2010 [दिनांक 2 अगस्त, 2011 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 61-1/2011-एनसीटीई (एनएंडएस) द्वारा यथासंशोधित] में उक्त अधिनियम की धारा 2 में खंड (ढ) में उल्लिखित स्कूल में कक्षा I से VIII के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की हैं;

और जबकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 2 में प्रावधान है कि जहां किसी राज्य में अध्यापक शिक्षा के पाठ्यक्रम या प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं या अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम योग्यता वाले अध्यापक पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं है तो केन्द्र सरकार, यदि आवश्यक समझे तो अधिसूचना द्वारा अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु अपेक्षित न्यूनतम योग्यताओं में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए छूट दे सकती है, जो पांच वर्ष से अधिक नहीं हो सकती;

और जबकि त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2012 के अपने पत्र द्वारा उक्त अधिनियम के खंड 23 के उप खंड (1) के अंतर्गत परिषद द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु रखी गई न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए केन्द्र सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया;

और जबकि केन्द्र सरकार ने उक्त अधिनियम के खंड 23 के उपखंड (2) के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हताओं की आवश्यकता में छूट के लिए त्रिपुरा राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया;

अतः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 23 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 23 अगस्त, 2010 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-03/20/2010/एनसीटीई/(एनएंडएस) (उक्त अधिसूचना), दिनांक 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 61-1/2011-एनसीटीई/(एनएंडएस) (संशोधित अधिसूचना) के जरिये उक्त अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा कक्षा I-VIII के संबंध में अधिसूचित न्यूनतम अध्यापक योग्यता मानदंडों के संबंध में त्रिपुरा राज्य को छूट देती है, जो निम्नानुसार है:-

(क) कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा (किसी भी नाम से जाना जाए); और

(ख) कक्षा VI-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु 1 वर्षीय शिक्षा स्नातक।

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत दी गई छूट निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए 31 मार्च, 2015 तक के लिए मान्य होगी:

(i) परिषद की उपर्युक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार त्रिपुरा सरकार परिषद द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 2011 को समय-समय पर यथासंशोधित जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी तथा कक्षा I-VIII में अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु केवल उन्हीं व्यक्तियों पर विचार किया जा सकता है जिन्होंने अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

(ii) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन भर्ती नियमावली में संशोधन करेंगे ताकि समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना तथा परिषद की संशोधित अधिसूचना द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति हेतु अपेक्षित निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं का प्रावधान किया जा सके;

(iii) नियुक्ति के मामले में राज्य सरकार उन पात्र अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देगी जो दिनांक 23 अगस्त, 2010 की उक्त अधिसूचना, समय-समय पर यथासंशोधित, में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता रखते हैं तथा उसके पश्चात उन पात्र अभ्यर्थियों पर विचार करेंगे जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रदान की गई छूट वाली योग्यता रखते हैं;

(iv) अध्यापकों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन का राज्य से बाहर सहित व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए।

(v) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि परिषद की समय-समय पर संशोधित उक्त अधिसूचना में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु दी गई आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं न रखने वाले ऐसे शिक्षक, जिन्हें उनके द्वारा नियुक्त किया गया है, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त करेंगे;

(vi) राज्य सरकार और अन्य स्कूल प्रबंधन यह सुनिश्चित करेंगे कि जिन अध्यापकों को, छूट दी गई योग्यता मानदंडों के अंतर्गत नियुक्त किया गया है वे नियुक्ति के वर्ष से दो वर्षों की अवधि के अंदर उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लें;

(vii) विशिष्ट अर्हताओं वाले व्यक्तियों को तैयार करने के लिए राज्य सरकार को संस्थागत क्षमता में वृद्धि करने के लिए कदम उठाने होंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 31 मार्च, 2015 के पश्चात कक्षा I-VIII में केवल अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को ही शिक्षकों के रूप में नियुक्त किया जाए और इस प्रयोजन से राज्य सरकार राज्य में शिक्षक तैयार करने के लिए संस्थागत क्षमता में वृद्धि हेतु एक कार्यनीति तैयार करेगी तथा उसे दो माह की अवधि के भीतर केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगी और तत्पश्चात उठाए गए कदमों, जिनमें मौजूदा अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की क्षमता में वृद्धि, नए अध्यापक शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य में अध्यापक तैयार करने की क्षमता में वृद्धि के लिए कार्यनीति के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए अन्य कदम शामिल हैं, के संबंध में प्रत्येक छह माह में केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी; और

(viii) इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट छूट एक बार के लिए होगी तथा त्रिपुरा राज्य को धारा 23 की उपधारा (2) के अंतर्गत आगे कोई छूट नहीं दी जाएगी।

221350/12-3

3. परिषद के दिनांक 11 फरवरी, 2011 के पत्र द्वारा जारी अध्यापक पात्रता परीक्षा दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 5 के उप पैराग्राफ (iii) के अनुसार निम्नलिखित योग्यता रखने वाले व्यक्ति 31 मार्च, 2015 तक राज्य में की जाने वाली अध्यापक की नियुक्ति के संबंध में त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा आयोजित अध्यापक पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए भी पात्र होंगे:-

(क) कक्षा I-V के लिए कम से कम 50 प्रतिशत अंकों के साथ सीनियर सैकेंडरी (या समकक्ष);

(ख) कक्षा I-VIII के लिए स्नातक।

[फा. सं. 1-17/2010-ई.ई.-4(पार्ट-1)]

वृंदा सरूप, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th June, 2012

S.O. 1391(E).—WHEREAS the National Council for Teacher Education (hereinafter referred to as the Council), in pursuance of sub-section (1) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), (hereinafter referred to as the said Act), has, vide its notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 25th August, 2010, (as amended vide notification No. 61-1/2011-NCTE(N&S) published in the Gazette of India Extraordinary, Part III, Section 4 dated 2nd August, 2011), laid down the minimum qualifications for a person to be eligible for appointment as a teacher in classes I to VIII in a school referred to in clause (n) of section 2 of the said Act;

AND WHEREAS sub-section (2) of section 23 of the said Act provides that where a State does not have adequate institutions offering courses or training in teacher education, or teachers possessing minimum qualifications laid down under sub-section (1) of section 23 of the said Act are not available in sufficient numbers, the Central Government may, if it deems necessary, by notification, relax the minimum qualifications required for appointment as a teacher for such period, not exceeding five years, as may be specified in that notification;

AND WHEREAS the State Government of Tripura vide its letter dated the 27th February, 2012 submitted a proposal to the Central Government for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment of teachers laid down by the Council under sub-section (1) of section 23 of the said Act;

AND WHEREAS the Central Government perused the proposal of the State Government of Tripura for relaxation of the requirement of minimum qualifications for appointment as teachers under sub-section (2) of section 23 of the said Act;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009), the Central Government hereby relaxes in respect of the State of Tripura, the minimum qualifications notified by the National Council for Teacher Education under sub-section (1) of section 23 of the said Act vide notification number F.No.61-03/20/2010/NCTE/(N&S), dated the 23rd August, 2010 (the said notification), as amended by notification number 61-1/2011-NCTE(N&S), dated the 29th July, 2011 (the amended notification) in so far as they relate to classes I to VIII, namely :-

(a) two-year Diploma in Elementary Education (by whatever name known) for appointment of a teacher in classes I to VIII; and

(b) one-Year Bachelors in Education for appointment of a teacher in classes VI to VIII.

2. The relaxation granted under this notification shall be valid for a period upto the 31st March, 2015, subject to fulfilment of following conditions, namely:-

(i) the State Government of Tripura shall conduct the Teacher Eligibility Test as specified in the said Notification as amended from time to time, of the Council in accordance with the Guidelines for conducting Teacher Eligibility Test, dated the 11th February, 2011 issued by the Council and those persons who pass the Teacher Eligibility Test be considered for appointment as a teacher in classes I to VIII;

(ii) the State Government and other school managements shall amend the recruitment rules to provide for the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down by the said notification as amended from time to time;

(iii) the State Government shall in the matter of appointment give priority to those eligible candidates who possess the minimum qualifications specified in the said notification dated the 23rd August, 2010, as amended from time to time and thereafter, consider other candidates eligible with the relaxed qualifications under this notification;

(iv) advertisement for appointment of teachers shall be given wide publicity, including outside the State;

(v) the State Government and other school managements shall ensure that teachers employed or engaged by them who do not possess the minimum qualifications required for appointment of teachers laid down in the said notification, as amended from time to time, of the Council shall acquire the minimum qualifications within the time limit specified under sub-section (2) of section 23 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009;

(vi) the State Government and other school managements shall ensure that teachers who are appointed under the relaxed qualification norms acquire the minimum qualification specified in the said notification within a period of two years from the year of appointment;

(vii) the State Government shall take steps to increase the institutional capacity for preparing persons with specified qualifications so as to ensure that only qualified persons are appointed as teachers in classes I to VIII after the 31st March, 2015 and for this purpose the State Government shall prepare a strategy for increasing the institutional capacity for teacher preparation in the State and submit the same to the Central Government within a period of two months, and thereafter, submit a Report to the Central Government in every six months with regard to the steps taken, including increasing capacity in existing teacher education institutions, establishment of new teacher education institutions, and other steps, to implement the strategy for increasing teacher preparation capacity in the State; and

(viii) the relaxation specified in this notification shall be one-time and no further relaxation under sub-section (2) of section 23 shall be granted to the State of Tripura.

3. The persons possessing the following qualifications shall also be eligible for appearing in the Teacher Eligibility Test conducted by the State Government of Tripura in respect of teacher appointments made in the State upto the 31st March, 2015, in accordance with sub- paragraph (iii) of paragraph 5 of the Teacher Eligibility Test Guidelines, issued by the Council vide its letter dated the 11th February, 2011, namely :-

(a) Senior Secondary (or equivalent) with at least fifty per cent marks, for classes I to V;

(b) Graduation, for classes I to VIII.

[F. No. 1-17/2010-EE-4(Pt.I)]

VRINDA SARUP, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.